

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावित वार्ड एवं अन्य वार्डों में निगम द्वारा विभागीय एवं प्लेसमेंट तथा अतिरिक्त लगाये गये सफाई कामगारों एवं श्रमिकों के माध्यम से 05 से 19 अगस्त तक 92593 कूलर खाली कराये गये एवं 5109 कूलर को उत्तरवाया गया। स्प्रे पम्प से टेलीफास का छिड़काव 60924 स्थानों में कराया गया, फार्गींग मशीन से 3750 स्थानों एवं 290 स्कूल, 244 आंगनबाड़ी केन्द्रों में किंगफाग का धुआं छोड़ा गया। 272588 मीटर नालियों की सफाई की गई है। जन जागरूकता हेतु 138336 पाम्पलेट का वितरण किया गया।

विभिन्न समाजसेवी संस्थान, निजी चिकित्सा संस्थान, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एस.एच.जी. ग्रुप के सदस्यों, पी.वी.टी. के बच्चों के सहयोग से 2056 रैली निकाली गई और कन्ट्रोल रुम से प्राप्त होने वाले शिकायतों का प्रतिदिन निराकरण किया जा रहा है। डेंगू के रोकथाम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 302 होर्डिंग्स, 941 कटआउट क्षेत्रों में लगाया गया है। जन जागरूकता हेतु 06 एप्पे एवं 11 रिक्शों से डेंगू के बचाव हेतु प्रचार-प्रसार नियमित रूप से किया जा रहा है। अतिरिक्त 304 नग स्प्रे पम्प के माध्यम से कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है।

आज दिनांक 19.08.2018 को डेंगू के नियंत्रण हेतु नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा अब तक 3217 कूलर खाली कराये गये एवं 77 कूलर को निकलवाया गया। 1075 नग स्प्रे पम्प से टेमिफास का छिड़काव, फार्गींग मशीन से 92 स्थानों एवं 09 स्कूल, 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों में किंगफाग के धुएं का छिड़काव कराया गया।

जन जागरूकता हेतु 2655 पाम्पलेट का वितरण किया गया है। विभिन्न समाजसेवी संस्थान, निजी चिकित्सा संस्थान, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एस.एच.जी. ग्रुप के सदस्यों, वी.टी.पी. के बच्चों के सहयोग से 10 स्थानों में रैली निकाली गई और कन्ट्रोल रुम से प्राप्त होने वाले शिकायतों का प्रतिदिन निराकरण किया जा रहा है। डेंगू के रोकथाम के व्यापक प्रचार-प्रसार 34 फ्लैक्स / होर्डिंग्स, 1350 प्लेसमेंट कर्मचारी लगाया गया है। प्रथम पाली में 267, एवं 330 द्वितीय पाली में अतिरिक्त कर्मचारी लगाये गये, भैंस खटाल, होटल, टायर पंचर सेंटर से कुल 102000 रुपये (एक लाख दो हजार) का जुर्माना, 15 नग हेण्डसेट फार्गींग मशीन से अतिरिक्त कार्य कराया गया। डेंगू के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु नागरिकों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है।

जोन क्रमांक 02 एवं 04 प्रदीप यादव भैंस खटाल 12 हजार, श्री रमेश भैंस खटाल 25 हजार, रंजीत सिंह भैंस खटाल 15 हजार, विवेक एवं अतुल रामा भैंस खटाल 15 हजार, बलराम यादव 5 हजार, सभी वार्ड क्रमांक 10, गुल्ली रोम साहू होटल 15 हजार, इमानुददीन टायर पंचर सेंटर 2500 रुपये, बंगाली टायर 2500 रुपये, वार्ड क्रमांक 32/36 एवं गोविन्द कुशवाहा भैंस खटाल वार्ड क्रमांक 28 छावनी 10 हजार कुल 102000 रुपये अर्थदण्ड की राशि वसूल की गई।

जनसम्पर्क अधिकारी



